रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224061
CG-DL-E-31122020-224061

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942
No. 681] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 817(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का नाम विद्युत (संशोधन) नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत नियम, 2005 के नियम 7 में,

   (क) पार्श्व शीर्षक में "उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और" शब्दों का लोप किया जाएगा;

   (ख) उप-नियम (1) और उसके प्रावधानों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 23/05/2020-आर एंड आर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 379 (अ) तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 667 (अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2006 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2020

G.S.R. 817(E).—In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Electricity (Amendment) Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity Rules, 2005, in rule 7,-

   (a) In the marginal heading, the word "Consumer Redressal Forum and" shall be omitted;

   (b) sub-rule (1) and the proviso thereof shall be omitted.

[F. No. 23/05/2020-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Note : The Principal Rules were published 2005 in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 379 (E), dated the 8th June, 2005 and last amended vide notification number G.S.R. 667(E), dated the 26th October, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 818(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "**अधिनियम**" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

   (ख) "**आवेदक**" से किसी परिसर का ऐसा स्वामी और अधिभोगी अभिप्रेत है जो अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में, विद्युत की आपूर्ति, स्वीकृत भार या अनुबंधित मांग में वृद्धि या कमी करने, शीर्षक में परिवर्तन या नामांतरण, उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन, आपूर्ति को वियोजित करने या पुनः चालू करने, या करार को समाप्त करने, कनेक्शन के स्थानांतरण या अन्य सेवाओं, यथास्थिति, के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष कोई आवेदन पत्र देता है;

   (ग) "**आवेदन**" से ऐसा आवेदन अभिप्रेत है जो आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित प्रपत्र में सभी दस्तावेजों और अन्य अनुपालनों सहित हर दृष्टि से पूर्ण हो;

   (घ) "**बिल चक्र या बिल अवधि**" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रवर्गों के लिए, आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट, नियमित विद्युत बिल जारी किए जाते हैं;

   (ङ) "**आयोग**" से अधिनियम की धारा 82 के अधीन गठित राज्य विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

   (च) **"उपभोक्ता"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे, उसके स्वयं के उपयोग के लिए, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या सरकार या विद्युत अधिनियम, 2003 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन साधारण जनता